बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 का संशोधन।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एतद्द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ :–** (i) यह विनियमावली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदण्ड तथा प्रकिया) (संशोधन) विनियमावली, 2018 कही जाएगी।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (iii) यह संशोधन अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम 08 का संशोधन।**

उक्त विनियमावली, 2016 के विनियम 08 के उपविनियम (xii) के बाद निम्नलिखित उपविनियम (xiii) जोड़ा जाएगा :–

(xiii) बिहार राज्य के अन्तर्गत वैसे प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विनियमावली, 2014 प्रख्यापित होने के पूर्व प्रशिक्षण सत्र 2014–16 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है एवं कतिपय कारणों से इन संस्थानों को समिति से संबद्धता प्रदान नहीं किया जा सका है एवं समिति द्वारा इन प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित छात्रों की परीक्षा पूर्व के वर्षों में नियमित रूप से आयोजित की गयी है तथा परीक्षाफल भी प्रकाशित किये गये हैं, को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, दिल्ली से प्राप्त मान्यता के सत्रों से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के अधीन समिति से संबद्ध समझा जाएगा।

परन्तु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के अधीन इस श्रेणी के सभी महाविद्यालयों का निरीक्षण एवं तद्नुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सक्षम होगी।

7/7/18

सचिव,

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

Bihar School Examination Board, Patna

Amendment to Bihar School Examination Board (issuance of teachers education no-objection certificate, affiliation norms and procedure) Regulation, 2016.

In exercise of the powers conferred under section-17 of the Bihar School Examination Board Act. 1952 (as amended from time to time), the Bihar School Examination Board, Patna hereby makes the following regulations to amend the Bihar School Examination Board (issuance of teachers education no-objection certificate, affiliation norms and procedure) Regulation, 2016 :-

1. **Short title, extent and commencement: -** (i) These regulations shall be called Bihar School Examination Board (issuance of teachers education no-objection certificate, affiliation norms and procedure) (Amendment) Regulation, 2018

    (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

    (iii) The Amendment shall come into force from the date of its notification.

2. **Amendment to Regulation 8 of the said Regulation, 2016**

A sub-regulation (xiii) shall be added after the sub-regulation (xii) of Regulation, 8 of the said regulation, 2016 as follows: -

(xiii) Such training colleges of the State of Bihar, which have been got recognition from the National Council of Teacher's Education up to training session, 2014-16 before promulgation of the National Council of Teacher's Education, Regulation, 2014 and could not have been given affiliation from the Board due to certain reasons and regular examination for the admitted students of the said Colleges has been organized and results of the same have also been published by the Board, shall deemed to be affiliated from the Board under the Bihar School Examination Board (issuance of teachers education no-objection certificate, affiliation norms and procedure) Regulation, 2016 from the session of getting recognition from the Eastern Regional Committee, the National Council of Teacher's Education, Bhuvneshwar/the National Council of Teachers Education, New Delhi.

But the Board shall be competent to inspect & take action against the colleges of said category accordingly, under the Bihar School Examination Board (issuance of teachers education no-objection certificate, affiliation Norms & Procedure) Regulation, 2016.

7/7/18

Secretary

Bihar School Examination Board, Patna